

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 07/05/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 06.05.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना कोतवाली गाजीपुर पुलिस द्वारा, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम धारा 3/5/8 में 04 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार जिनके पास से 28.7 कि0ग्रा0 गोमांस, 01 अदद लोहे की चापड़, 02 अदद लोहे का चाकू, 01 अदद लोहे की कुल्हाड़ी, 01 अदद गोमांस काटने का लकड़ी का गुटका (ठीहा), 04 अदद लोहे का बाट, 01 अदद लोहे की तराजू व अन्य वस्तुएं की गई बरामद ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.05.2025 को मुखबिर खास सूचना के आधार पर ग्राम चौकिया पोखरे के पास स्थित मकान को चेक किया गया तो अभियुक्तगण 1. इरशाद कुरैशी पुत्र सलीम कुरैशी 2. शाहिद कुरैशी पुत्र स्व0 सलीम कुरैशी 3. दिलशाद कुरैशी पुत्र इकबाल कुरैशी 4. इरफान कुरैशी पुत्र स्व0 सलीम कुरैशी के पास से कुल 28.7 कि0ग्रा0 गोमांस, 01 अदद लोहे की चापड़, 02 अदद लोहे का चाकू, 01 अदद लोहे की कुल्हाड़ी, 01 अदद गोमांस काटने का लकड़ी का गुटका (ठीहा), 04 अदद लोहे का बाट, 01 अदद लोहे की तराजू, 01 अदद प्लास्टिक का पीढ़ा, 04 अदद मोबाइल फोन, 3140/-रु0 नकद व 01 अदद मोटर साइकिल बरामद होने पर अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 313/2025 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

विवरण पूँछताछ – उक्त गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों द्वारा पूँछताछ में बताया गया कि हम लोग चोरी छिपे रात में गाय बछड़ों को ले आकर रात में ही काट कर उनके मलबे को बोरी में भर कर पास के ही तालाब में ले जाकर फेंक देते हैं जिससे आस पास के लोग भी नहीं जान पाते हैं और केवल गोमांस को चोरी छिपे ही बेचते हैं तथा इसी से हम लोगों के परिवार का जीवन यापन चलता है, इस गोमांस को बेचने के लिये छोटे-छोटे टुकड़े कर रहे थे और उनकी तौल कर पैकिंग करते हुए बेच रहे थे, तब तक आप लोग आ गये और आप लोगों को देखते ही

मेरे गांव का दानिश कुरैशी पुत्र गुड्डू कुरैशी व बब्लू कुरैशी पुत्र इसराइल कुरैशी जो गोमांस के टुकड़ों की पैकिंग कर रहे थे एवं परवेज कुरैशी पुत्र स्व० सलीम कुरैशी जो गोमांस के टुकड़ों को तौल रहा था मौके से भाग गये और हम लोग पकड़े लिये गये। इरशाद कुरैशी के द्वारा बताया गया कि साहब यहां पर जो गोमांस नहीं बिक पाते हैं उसे मैं अपनी मोटर साइकिल जो पास में खड़ी है उसी से गोमांस के टुकड़ों को प्लास्टिक के झोले में रखकर आस- पास के गांव में घूम घूम कर बेच देता हूँ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. इरशाद कुरैशी पुत्र सलीम कुरैशी निवासी ग्राम चौकिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 25 वर्ष
2. शाहिद कुरैशी पुत्र स्व० सलीम कुरैशी निवासी ग्राम चौकिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 32 वर्ष
3. दिलशाद कुरैशी पुत्र इकबाल कुरैशी निवासी ग्राम चौकिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 22 वर्ष
4. इरफान कुरैशी पुत्र स्व० सलीम कुरैशी निवासी ग्राम चौकिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास – अभियुक्त इरशाद कुरैशी उपरोक्त

1. मु०अ०सं० 313/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
2. मु०अ०सं० 493/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास – अभियुक्त शाहिद कुरैशी उपरोक्त

1. मु०अ०सं० 313/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
2. मु०अ०सं० 443/18 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
3. मु०अ०सं० 155/18 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
4. मु०अ०सं० 605/20 धारा 3(1) उ०प्र० गैरेस्टर अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास – अभियुक्त दिलशाद कुरैशी उपरोक्त

1. मु०अ०सं० 313/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास – अभियुक्त इरफान कुरैशी उपरोक्त

- मु०अ०सं० 313/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
- मु०अ०सं० 493/24 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

बरामदगी –

1. 28.7 कि०ग्रा० गोमांस
2. एक अदद लोहे की चापड़,
3. दो अदद लोहे का चाकू
4. एक अदद लोहे की कुल्हाड़ी,
5. एक अदद गोमांस काटने का लकड़ी का गुटका (ठीहा),
6. चार अदद लोहे का बाट,
7. एक अदद लोहे की तराजू,
8. एक अदद प्लास्टिक का पीढ़ा,
9. चार अदद मोबाइल फोन, 3140/-रु० नकद
10. एक अदद मोटर साइकिल

02. थाना जंगीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 82/25 धारा 69/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 06.05.2025 को थानाध्यक्ष जंगीपुर के नेतृत्व में उ0नि0 हरिश्चन्द्र वर्मा मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 82/25 धारा 69/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त दीपक कन्नौजिया पुत्र नन्दे उर्फ नन्दलाल कन्नौजिया को नवापुरा तिराहा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

दीपक कन्नौजिया पुत्र नन्दे उर्फ नन्दलाल कन्नौजिया निवासी मानपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 82/2025 धारा 69/351(3) बीएनएस थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर

3. थाना भुड़कुड़ा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 35/25 धारा 80(2)/85 बीएनएस व ¼ डी0पी0एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्र0नि0 भुड़कुड़ा शैलेश कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा दिनांक 06.05.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 35/25 धारा 80(2)/85 बीएनएस व ¼ डी0पी0एक्ट में वांछित अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र गोविन्द राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर को रेलवे स्टेशन जखनियां के सामने से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का नाम व पता -

1. दीपक कुमार पुत्र गोविन्द राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 35/25 धारा 80(2)/85 बीएनएस व ¼ डी0पी0एक्ट ।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर